


I/20589/2023

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
कर्मयोगी भवन, पटुर्थ भाला, ब्लॉक-2, सी विंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र

Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: गुज/कच्छ/बाक्सा- 12/433 Mine code 07GUJ10023 ID - 165/23

दिनांक: 23.11.2023

सेवा में : Gujarat Mineral Development Corporation Ltd.
Calcined Bauxite Project,
Gadhsisa, Taluka- Mandvi- 370 445
Kachchh (GUJ)
e mail – gadhsisa@gmdcltd.com

विषय: गुजरात राज्य के जिला- कच्छ की तालुका- अब्दासा में स्थित आपकी दवान-वामोती बाक्साइट खान, क्षेत्रफल- 642.05 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का स्टार रेटिंग निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18.09.2023 को श्री एन.के.विरमगामा, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

नियम सं.	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
34A(1) read with rule 34A(5)	The Submitted output/details of the drone survey were not found as per the SOP issued by under rule 34A (5). (I) 100 m. buffer has not been shown. (II) The GCP.shp is not in a proper file format as a message is popped up as "Daban-Wamoti_GCP_shp is not a valid or recognized data source".


- इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
- खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।

MCDR-MiFLOBXT/127/2022-GNR-IBM_RO_GNR

I/20589/2023

०४. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय



(मनीष गुप्ता)

सहायक खान नियंत्रक

क्र. ९ / भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि - १. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, पुराना सचिवालय, ब्लॉक न- 15, डा जीवराज मेहता भवन, सैक्टर- 10, गांधीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

३. रक्षित पत्रावली।

सहायक खान नियंत्रक

क्र. ९ / भारतीय खान ब्यूरो

जारी किया/Issued

24-11-23